न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–06, मथुरा।

फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं०–621/2025

डिम्पल आदि बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य

UPMT010077122025

<u>दिनांक–15.04.2026</u> **<u>निस्तारण प्रार्थनापत्र 6 ख अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम</u>**

प्रार्थना पत्र 6 ख प्रार्थिया/अपीलांट की ओर से इस कथन के साथ संस्थित किया गया है कि प्रार्थिया उक्त मुकदमें की पैरवी करती थी। दिनांक 20.06.2025 को हाई फीवर एवं टाइफाइड की बीमारी से ग्रस्त हो गयी थी। प्रार्थिया बीमार होने की वजह से दिनांक 20.06.2025 से दिनांक 31.07.2025 तक बैड रेस्ट पर रहना पडा था। प्रार्थिया की बीमारी का ईलाज भगत क्लीनिक एण्ड हास्पीटल महरौली न्यू दिल्ली के डाक्टर कैप्टन गोपाल भगत द्वारा किया गया। मैडीकल सर्टीफिकेट साथ में संलग्न है। बीमार होने के कारण समय से अपील दाखिल नहीं कर सकी थी। अपीलार्थी ने अपील दाखिल करने में जानबूझकर देरी नहीं की है। न्यायहित में अपील दाखिल करने में हुई देरी को धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत लाभ प्रदान करते हुए देरी को माफ किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम को स्वीकार करते हुये विलम्ब को क्षमा करने की याचना की गयी है।

प्रार्थनापत्र पर राज्य की ओर से विद्वान ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल द्वारा घोर आपत्ति करते हुए, प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की है।

सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सम्बन्धित विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांक–22.05.2025 को पारित किया गया, जिसके पश्चात प्रार्थिया/अपीलांट हाई फीवर एवं टाइफाइड की बीमारी से ग्रस्त हो गयी थी, जिस कारण उसको दिनांक 20.06.2025 से दिनांक 31.07.2025 तक बैड रेस्ट पर रहना पडा था तथा प्रार्थिया का इलाज भगत क्लीनिक एण्ड हास्पीटल महरौली न्यू दिल्ली के डाक्टर कैप्टन गोपाल भगत में चला। प्रार्थिया/अपीलार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आदेश की नकल निकलवाकर दिनांक 02.08.2025 को अविलम्ब अपील न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। इस कारण से निगरानी दाखिल करने में विलम्ब होना कथित किया है। संस्थित प्रार्थनापत्र के साथ संबंधित आदेश की कागज सं० 5 ख/4 तथा मेडिकल प्रपत्र कागज सं० 5 ख/5 की प्रमाणित प्रतलिपियां दाखिल की गयी है तथा विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं की गयी। अतः ऐसी परिस्थिति में अपील दाखिल करने में हुए विलम्ब हेतु जो आधार प्रार्थना पत्र में लिये गये हैं, वह पर्याप्त हैं, क्योंकि अगर पक्षकारों को अवसर दिया जाता है तो इससे मामले को अन्तिम रूप से गुण दोष के आधार पर निर्णीत किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित विभिन्न न्यायिक नजीरों में यह अभिमत दिया गया है कि मियाद अधिनियम में तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि उदार रूख अपनाना चाहिए। तदानुसार न्यायहित में वादिनी/अपीलांट का प्रार्थनापत्र 6 ख स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनपत्र 6 ख अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम मुव. 200/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। फौजदारी अपील दाखिल करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। हर्जा अदायगी के उपरान्त पत्रावली फौजदारी अपील के अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु माननीय सत्र न्यायाधीश, मथुरा को भेजी जाये। पक्षकार दिनांक–15.05.2026 को माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों।

(श्रीमती नीलम ढाका)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–06, मथुरा।
Id No. UP 2653

Digitally signed by Neelam Dhaka
Date: 2026.04.16 09:58:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court